बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02/2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित सभी 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पदस्थापित कुल 1429 सहायक प्राध्यापकों का आवासीय प्रशिक्षण हेतु कुल राशि रू० 3,07,58,622.00 (तीन करोड़ सात लाख अनठावन हजार छः सौ बाईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिपार्ड, गया को राशि विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना का पत्रांक–1668, दिनांक–10.04.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचना के आधार पर दिनांक–01.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित सभी 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पदस्थापित कुल 1429 सहायक प्राध्यापकों का आवासीय प्रशिक्षण हेतु कुल राशि रू० 3,07,58,622.00 (तीन करोड़ सात लाख अनठावन हजार छः सौ बाईस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिपार्ड, गया को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग सं०–43 के अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष –112– इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष –0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अधीन विषयशीर्ष 20 03– प्रशिक्षण व्यय, में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–43–2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि की निकासी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से सहायक अनुदान के रूप में, की जायेगी।

5. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. उक्त राशि CFMS प्रणाली से निम्नवत् बैंक खाता में अंतरित किया जाएगा :–

Name of the Bank :- Bandhan Bank, Swarajpuri, Road Branch, Gaya

Name of A/c Holder :-Bihar Institute of Public Administration & Rural Development.

Bank A/c No.:- 50220029265768

IFSC Code :- BDBL0001543

Account Type :- Saving

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023 के पृ०–84 / टि0 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/1/25

(अहमद महमुद)
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

प्रतिलिपि– महानिदेशक / उप निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना / सहायक निदेशक, बिपार्ड, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

प्रतिलिपि– प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25
अपर सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (VI) प्रशिक्षण–02 / 2023– 166 /पटना, दिनांक– 13/1/25

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / लेखा शाखा / आई० टी० मैनेजर (E-Mail एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25
अपर सचिव